भर्ती हेतु सूचना

कनिष्ठ परामर्शदाता / परामर्शदाता– जन स्वास्थ्य प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) एक स्वायत्त निकाय है, जिसे वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत गठित किया गया है। इसे केंद्रीय स्तर पर, नीति, नियोजन एवं रणनीति विकास में सहायता करने और नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं क्षमता विकास हेतु राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है।

यदि आप स्वास्थ्य साम्या और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो यहां आपके लिए एक ऐसी टीम के साथ कार्य करने का एक अनोखा अवसर है, जो भारत में जन स्वास्थ्य परिदृश्य को आकार प्रदान कर रही है। यह पद, अपको राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपलब्ध क्रियान्वयन सहायता के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में सुधार करने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। एनएचएसआरसी की अलग–अलग क्षेत्र की विविध टीमों के साथ कार्य कर आप सेवा प्रदायगी प्रणाली, सबके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, सामुदायिक प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य वित्तपोषण, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, जन स्वास्थ्य नियोजन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने संबंधी विविध चुनौतियों का समाधान खोज सकेंगे, अनुकूलित कर सकेंगे, सह–निर्माण और प्रसार कर सकेंगे। यह, स्वास्थ्य प्रणाली के व्यापक सुदृढ़ीकरण में सहयोग करने, जिला और उप–जिला कार्यान्वयन से सीख लेने, जानकारी का उपयोग करने, और स्वास्थ्य सेवाओं के सार्वजनीकरण की संकल्पना को साकार करने का एक अवसर है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन (पीएचए) प्रभाग, अच्छी गुणवत्ता वाली द्वितीयक जन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा देने और समुदायों में प्राथमिक सेवाओं को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से शासन, प्रबंध और स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के व्यापक ढांचे के तहत काम करता है। यह राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों के विकास हेतु कार्य करता है और क्षमता विकास, सहयोगी पर्यवेक्षण और निगरानी के माध्यम से राज्यों और जिलों को कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है। यह जमीनी स्तर पर किए गए कार्य अनुभवों से राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों को भी जानकारी प्रदान करता है।

पीएचए प्रभाग के कुछ प्रमुख कार्य क्षेत्रों में शामिल हैं:

- मॉडल स्वास्थ्य जिला पहल – यह प्रभाग, अपने पास (रोगियों) से किए जाने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जिले के उन्नत समग्र स्वास्थ्य सूचकों के परिणाम प्राप्त करने हेतु सुनिश्चित सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए चयनित जिलों के साथ कार्य करता है। इस पहल के तहत, प्रभाग सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषकर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित जिला अस्पताल, एसडीएच और सीएचसी, पीएचसी और उप केंद्र की श्रृंखला के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र जो बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, मानव संसाधन, गुणवत्ता और स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करते हैं, उन्हें 'मॉडल स्वास्थ्य जिला' कहा जाता है और इसके फलस्वरूप वे अन्य जिलों और राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले मॉडल के रूप में कार्य करते हैं।

- विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य कार्य नियोजन (डीएचएपी) – यह प्रभाग, योजना निर्माण की इस बॉटम अप पहल में स्थानीय जन स्वास्थ्य जरूरतों और अन्य सुसंगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी जिला स्वास्थ्य योजनाएं बनाने की क्षमता विकसित करने के लिए राज्यों और जिलों के साथ बड़े पैमाने पर कार्य करता है।

- भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) – आईपीएचएस के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करता है।

- द्वितीयक देखभाल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना – यह प्रभाग, बुनियादी ढांचागत जरूरतों और तकनीकी प्रोटोकॉल के अनुरूप द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने और डीएनबी/सीपीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के प्रावधान द्वारा जिला अस्पतालों को 'ज्ञान केंद्र (नॉलेज हब)' के रूप में विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह जिला अस्पतालों के लिए भावी योजना तैयार करने में भी राज्यों का सहयोग करता है।

- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) – यह प्रभाग एनयूएचएम के कार्यान्वयन को आरंभ करने हेतु राज्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए सुसंगत हितधारकों के साथ कार्य करता है और विभिन्न शहरी स्वास्थ्य गतिविधियों का सहयोगी पर्यवेक्षण और निगरानी भी करता है।

- जन स्वास्थ्य संवर्ग – प्रभाग राज्यों के मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे के भीतर जन स्वास्थ्य संवर्ग तैयार करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहयोग कर रहा है।

- स्वास्थ्य का कानूनी ढांचा – केंद्र/राज्य सरकारों को स्वास्थ्य संबंधी कानूनों का मसौदा तैयार करने, और जन स्वास्थ्य संबंधी कानूनी सवालों का जवाब देने में सहयोग प्रदान करता है।

- यह प्रभाग राज्य और जिला स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र और मातृ एवं बाल मृत्यु समीक्षा लागू करके जवाबदेही में वृद्धि करना चाहता है।

पीएचए प्रभाग ऐसे युवा और गतिशील जन स्वास्थ्य पेशेवरों की तलाश कर रहा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हैं। आवेदक को एक सुदृढ़ कार्य शैली और न्यूनतम पर्यवेक्षण में कार्य करने और सीमित समय सीमा के भीतर कार्य संपन्न करने की क्षमता के साथ सदा सक्रिय और स्वयं–उत्तरदायी होना चाहिए।

आवेदक को अच्छी गुणवत्ता वाली जन स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे अधिक वंचित और सीमांत आबादी तक उपलब्ध कराने और सुलभ कराने की दृष्टि से जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के बारे में उत्साहित होना चाहिए; और उस संकल्पना को साकार करने की दिशा में सतत और रणनीतिक तरीके से कार्य करने का उत्साह होना चाहिए।

चयनित अभ्यर्थी को राज्यों और जिलों तथा अन्य हितधारकों के साथ एक गतिशील मंच पर कार्य करने का अनूठा अवसर प्राप्त होगा। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर जन स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने और समस्या समाधान के लिए रणनीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने में गहन अनुभव प्रदान करेगा।

कनिष्ठ परामर्शदाता / परामर्शदाता – जन स्वास्थ्य प्रशासन प्रभाग, एनएचएसआरसी

एनएचएसआरसी, अपने पीएचए प्रभाग को सहयोग प्रदान करने हेतु पूर्णतः संविदा आधार पर एक परामर्शदाता की भर्ती करने का इच्छुक है। परामर्शदाता, वरिष्ठ परामर्शदाता, पीएचए के पर्यवेक्षण में और सलाहकार, पीएचए के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

योग्यता एवं अनुभवः

i) अनिवार्यः

- चिकित्सा/स्वास्थ्य/जन स्वास्थ्य/नर्सिंग/सामाजिक विज्ञान/स्वास्थ्य सहयोगी क्षेत्रों में स्नातक उपाधि।
- जनस्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, निवारक एवं सामाजिक चिकित्सा, (एमपीएच, एमडी, सामुदायिक चिकित्सा), स्वास्थ्य देखभाल/अस्पताल प्रबंध में स्नातकोत्तर या उच्चतर योग्यता।
- कनिष्ठ परामर्शदाता के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य/एनआरएचएम/एनएचपी/आरएमएनसीएच+ए/स्वास्थ्य नियोजन/स्वास्थ्य नीति एवं पैरवी/जन स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण या स्वास्थ्य देखभाल प्रबंध के क्षेत्र में स्नातकोत्तर योग्यता उपरांत कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव; और
- परामर्शदाता के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य/एनआरएचएम/एनएचपी/आरएमएनसीएच+ए/स्वास्थ्य नियोजन/स्वास्थ्य नीति एवं पैरवी/जन स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण या स्वास्थ्य देखभाल प्रबंध के क्षेत्र में स्नातकोत्तर योग्यता उपरांत कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव।
- फील्ड स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित करने, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु कार्य करने का प्रदर्शित अनुभव।
- कार्यक्रम/नीतिगत स्तर, निगरानी एवं मूल्यांकन, डेटा विश्लेषण, जन स्वास्थ्य प्रशासन, शासन के क्षेत्र में एनएचएम कार्यक्रमों पर कार्य करने की दक्षता और अनुभव।

- आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पैकेजों, जैसे कि एमएस–वर्ड, एक्सेल, पॉवर पाइंट की उच्च स्तरीय जानकारी सहित कंप्यूटर में प्रवीणता।
- जीवंत, गतिशील, पहल करने और स्वामित्व की भावना से अत्यधिक प्रेरित, और एक टीम के रूप में सौंपे गए किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार।
- सीमित समय अवधि में ब्यौरों का ध्यान रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले लिखित कार्य निष्पादन की क्षमता।
- स्वास्थ्य प्रणाली, विशेषकर गरीब एवं वंचित आबादी के मुद्दों पर कार्य करने के प्रति संवेदनशील और समस्या समाधान की भावना के साथ राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत कार्य करने के लिए उत्सुक।
- विविध प्रकार के टीम परिवेश में कार्य करने की प्रदर्शित योग्यता।
- उत्कृष्ट अभ्यर्थियों के लिए औपचारिक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा में ढील दी जा सकती है।

ii) वांछनीयः

- एमसीआई द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से एमबीबीएस,
- केन्द्रीय (या) राज्य स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों या गतिविधियों में कार्यरत अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
- जन स्वास्थ्य के सुसंगत क्षेत्रों में अनुसंधान का अनुभव,
- स्वास्थ्य प्रणालियों या जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रकाशित कार्य,
- केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर या तकनीकी सहयोग निकायों के साथ स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण का पूर्व अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

भूमिकाएं और दायित्वः

- आदर्श स्वास्थ्य जिले (एमएचडी), मातृ मृत्यु निगरानी और कार्रवाई (एमडीएसआर), बाल मृत्यु समीक्षा (सीडीआर), जिला अस्पताल सुदृढ़ीकरण, शिकायत निवारण और स्वास्थ्य हेल्पलाइन (जीआर एंड एचएल), सहयोगी पर्यवेक्षण (एसएस), भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) इत्यादि जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों में राज्यों को तकनीकी एवं निकट सहयोग प्रदान करना।
- राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए समय–समय पर निगरानी दौरे करना, रिपोर्टें तैयार करना और राज्यों द्वारा सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संवर्गों और स्टाफ के लिए कार्यक्रम दस्तावेज और दिशा–निर्देश तथा अन्य क्षमता निर्माण सामग्री का मसौदा तैयार करने में समन्वय करना।
- कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करने के लिए फील्ड दौरे, एचएमआईएस एवं अन्य डेटा स्रोतों, तिमाही प्रगति रिपोर्ट से प्राप्त डेटा एवं प्रेक्षणों का विश्लेषण करना और उनका उपयोग करना।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर की कार्यशालाओं के आयोजन और विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में राज्यों को अभिमुख करने के लिए परामर्श में प्रभाग का सहयोग करना।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने की सुविधा के लिए राज्यों से पीआईपी प्रस्तावों का मूल्यांकन करना।
- केंद्र या राज्य स्तर पर क्रियान्वयन भागीदारों/विकास भागीदारों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- एनएचएसआरसी के अन्य प्रभागों के साथ समन्वय और सहयोग करना।
- सलाहकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए पीएचए प्रभाग के अन्य कार्य करना।

कार्य स्थलः नई दिल्ली, आवश्यकतानुसार राज्यों एवं जिलों की अत्यधिक यात्रा।

आयु सीमाः कनिष्ठ परामर्शदाता के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। परामर्शदाता– अधिकतम 40 वर्ष (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को)।

पारिश्रमिक सीमाः प्रतिमाह 44,000/– रु. से 99,000/– रु. के बीच।*

** योग्यता एवं अनुभव के आधार पर उपर्युक्त सीमा में पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा।*

आवेदन कैसे करें:

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती हेतु सूचना के साथ संलग्न आवेदन पत्र को डाउनलोड कर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को 19 **दिसंबर** 2019 तक recruitment.pha.nhsrc@gmail.com पर ई–मेल कर दें। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र पर आवेदन किए गए पद का उल्लेख किया गया है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।